



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1672 वर्ष 2026

रितु और 3 अन्य
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : सोमदेव दीक्षित
के अधिवक्ता : जी.ए.

प्रतिवादी(यों)

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता
माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. शुरुआत में ही याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में यह बयान दिया है कि वे इस रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त बयान के मद्देनजर, यह रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

4 फरवरी, 2026

जफर

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"